न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 253/2016 **दायरा दिनांक : 13.07.2016**

उनवान

बजरंग लाल पुत्र श्री पांच्या, आयु 60 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कालू लाल पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

2— कान्हा उर्फ कन्हैया लाल पुत्र श्री कर्मा, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

3— रेवडी लाल पुत्र श्री भेरया, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

4— घासी लाल पुत्र भेरया, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

5— रामजानकी पुत्री भेरया, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

6— हीरा बाई पुत्री श्री भैरया, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

7— कालू लाल पुत्र अमर लाल, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

8— गिर्राज पुत्र अमर लाल, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

9— देवकरण पुत्र अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

10— जानकी बाई पुत्री श्री अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

11— चन्दा बाई पुत्री श्री अमर लाल, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

12— द्वारकालाल पुत्र श्री छीत्या, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

13— दूलीचन्द पुत्र श्री छीत्या, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

14— पप्पू पुत्र छीत्या, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

15— सुन्दर पुत्री छीत्या, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

16— समुद्रा पुत्री छीत्या, जाति मेघवाल, निवासी फूंसरा, तहसील बारां, जिला बारां

17 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – A103/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम फूंसरा तहसील बारां में खाता संख्या नया 30 पुराना 23 के खसरा नम्बर 335 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.82 हेक्टर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 850/172 रकबा 0.19 हेक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 4.28 हेक्टर आराजी वादी प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है । वादी और प्रतिवादी के मध्य बाह्मी बंटवारा हो चुका है और वादी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है वह वादी के काश्त में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते हैं । अतः वादी का 1/2 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की और उसी दिन विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव कैम्प में ही प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी की है । पटवारी हल्का द्वारा मौके पर न जाकर कैम्प में ही विभाजन प्रस्ताव बनवाये हैं । विभाजन

प्रस्ताव पर अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंटगण को नहीं सुना गया । खसरा नम्बर 850/172 की आराजी पर अपीलांट का कब्जा है । नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 10.06.2016 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रकरण का निस्तारण हो गया है । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियमों की पालना नहीं की गई है । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि कैम्प में पक्षकारान की सहमति से निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.06.2015 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी और उसी दिन कैम्प में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं जिसमें तहसीलदार के द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं । पक्षकारों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही सहखातेदारों के हिस्से को पृथक पृथक दर्शाते हुए नजरी नक्शा सलंग्न किया गया है । इस प्रकार राजस्व मण्डल के नियमों की पालना अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व नहीं की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिंक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.06.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करें । बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा